राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ.17(ई)परावि/पंचा.दिवस/2014/ 1886   जयपुर, दिनांकः 19.06.2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त।

विषयः विकास अधिकारी एवं ग्राम सेवकों को पंचायत दिवस कार्यक्रम के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने हेतु 21 व 22 जून को बैठकें आयोजित करने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि पंचायत दिवस कार्यक्रम के क्रियान्वयन बाबत की गई समीक्षा बैठकों व राज्य स्तर से नियुक्त प्रभारी अधिकारियों के प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित हो रहा है कि विकास अधिकारी एवं ग्राम सेवकों के स्तर पर पंचायत दिवस की सम्पूर्ण पूर्व तैयारी नहीं की जा रही है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अभी अधिकांशः कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम व इसमें सम्पादित किये जाने वाले कार्यो को पूर्ण रूप से समझा नहीं है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जिलों में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले की सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों एवं ग्राम सेवकों के साथ 21 एवं 22 जून में बैठक आयोजित कर उन्हें पंचायत दिवस कार्यक्रम में क्या–क्या कार्य किस प्रकार सम्पादित किये जाने है इस विषय में पूर्ण जानकारी स्वयं देंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले की सभी पंचायत समितियों को 2 अथवा 3 के ग्रुपों में इस प्रकार विभाजित करें कि समस्त पंचायत समितियां अधिकतम 4 ग्रुपों में सम्मिलित हो जायें। 21 व 22 जून को मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन ग्रुपों का आपस में विभाजन कर सुबह एवं शाम की पारी में अलग–अलग पंचायत समिति के ग्रुपों की स्वयं बैठक लें व समस्त स्टॉफ को पंचायत दिवस कार्यक्रम बाबत जानकारी देंगे। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिये जायेगे कि उनके द्वारा इस बाबत जारी किये गये समस्त परिपत्रों में वर्णित सभी कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

मुख्यालय स्तर से लिये गये जिलेवार प्रभारीगण अपने–अपने जिले में 20 तारीख को पंचायत दिवस कार्यक्रमों में भाग लेंगे एवं रात्रि विश्राम उसी जिले में करेंगे आगामी 2 दिवसों में वे जिले में आयोजित इन वर्णित बैठकों में भी भाग लें एवं अपनी रिपोर्ट सोमवार 23 जून, 2014 को प्रस्तुत करेंगे।

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ –
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
4. समस्त संबंधित अधिकारीगण

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

D:\LTR AC.docx